(381)

पत्रांक– 856 /प्राधि0

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

महत्त्वपूर्ण
जिला आपदा प्रबंधन योजना **(DDMP)**

प्रेषक,

मुख्य सचिव, बिहार –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

पटना,दिनांक– 22/06/2015

विषयः– राज्य के सभी जिलों का multi-hazard जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) की तैयारी के संबंध में ।

प्रसंग :– माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों को निर्गत पत्रांक 236 दिनांक 04.06.2015

महाशय,

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियम– 31 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जिलों के District Authority द्वारा **बहु–आपदा जिला आपदा प्रबंधन योजना (multi-hazard District Disaster Management Plan-DDMP)** बनाई जानी है जिसका अनुमोदन State Authority द्वारा किया जायगा।

उक्त नियम 31 में निम्न प्रावधान है :–

(i) There shall be a plan for disaster management for every district of the state.

(ii) The District Plan shall be prepared by the District Authority, after consultation with local authorities and having regard to the National Plan and the State Plan, to be approved by the State Authority

2. जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व होगा कि उपरोक्त प्रावधानानुसार वे अपने जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) को अपने guidance, supervision तथा monitoring में तैयार करायेगें । यह योजना आपदा प्रवण बिहार राज्य के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है जो जिलों में आपदा के समय उपयोगी होगा ।

3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का यह दायित्व होगा कि वे राज्य प्राधिकरण द्वारा चयनित एजेन्सी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें जिससे योजना ज्यादा–से–ज्यादा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सके और उपयोगी सिद्ध हो ।

4. इस योजना का प्रधान लक्ष्य जिलों में विभिन्न आपदाओं के समय response एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction & Mitigation) के कार्य में जिलों/राज्य के विभिन्न

विभागों/अन्य stakeholders की भूमिका एवं दायित्व निश्चित करना है। इस परिप्रेक्ष्य में योजना की तैयारी के समय पर्याप्त सावधानी एवं ownership आवश्यक होगा ।

5. आयुक्तों की भूमिका :– हांलाकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आयुक्तों की जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी में स्पष्ट भूमिका परिभाषित नहीं की गई है फिर भी आपदा के पूर्व एवं बाद के मामलों में आयुक्तों की कई मामलों में राज्य सरकार द्वारा भूमिका स्पष्ट की गई है। अपने प्रमंडलाधीन कार्यों का पर्यवेक्षण एवं जिला पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी उनका दायित्व हैं, जो प्रतिपादित है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सभी प्रमंडलीय आयुक्त सुनिश्चित करेगें कि जिला आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को भेजे गये guidelines (पत्रांक 236/उपा0 को0 दिनांक 04.06.2015) के अनुरूप बनाये जाय ।

6. अतः बिहार सरकार के इस वृहद् प्रयास में सभी संस्थाओं का पूर्ण सहयोग लेते हुए अपने जिले के लिए एक सर्वथा उपयोगी योजना (DDMP) तैयार करने हेतु सभी आवश्यक प्रयास किये जाय । किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता मान्य नहीं होगा ।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से किसी भी आवश्यक परामर्श के लिए संपर्क किया जा सकता है।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।